भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1773**

**28 दिसंबर, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: भूमिहीन और काश्तकार किसानों के लिए प्रावधन**

**1773. श्री संजय सिंहः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या किसानों को पूरे देश में एकसमान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिए जाने का प्रावधन है और क्‍या विभिन्न राज्यों में यह दर अलग-अलग है;

(ख) यदि यह दर विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार भूमिहीन एवं बटाईदार किसानों के लिए कोई अलग से प्रावधन करने का विचार रखती है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क) तथा (ख): सरकार कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) को निर्धारित करती है। कृषि फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग द्वारा क्षेत्र विशिष्‍ट पैरामीटरों का ध्‍यान रखा जाता है। चूंकि सिंचाई, संसाधन संवर्धन, फार्म अभियांत्रिकीकरण भू-जोत आकार आदि के स्‍तरों में भिन्‍नताओं के कारण उत्‍पादन की लागत भिन्‍न-भिन्‍न राज्‍यों में भिन्‍न होती है, अत: कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग अपनी सिफारिश करते समय अखिल भारतीय भारित औसत उत्‍पादन लागत का उपयोग करता है तथा समरूप न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की सिफारिश करता है जो सभी राज्‍यों के लिए लागू है तथा यह क्षेत्र-वार अथवा राज्‍य विशिष्‍ट के लिए नहीं है। इस प्रकार निर्धारित न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य अखिल भारतीय भारित औसत उत्‍पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा प्रदान करता है। इसका उद्देश्‍य क्षेत्रीय रूप से विभिन्‍न उत्‍पादन नीति को बढ़ावा देना है तथा देश में कृषि उत्‍पादन की एक सक्षम स्‍थिति को प्रोत्‍साहित करना है।

(ग): जी नहीं। न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य भू-जोतों की प्रकृति की अपेक्षा किए बिना सभी किसानों के लिए लागू है। न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य संबंधी फसलों के अतिरिक्‍त, सरकार राज्‍य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों के अनुरोध पर विशिष्‍ट फसलों के लिए बाजार हस्‍तक्षेप योजना (एमआईएस) को भी क्रियान्‍वित करती है। बाजार हस्‍तक्षेप योजना का कार्यान्‍वयन बंपर फसल की स्‍थिति में कम बिक्री होने से इन जिन्‍सों के उत्‍पादकों की उस समय रक्षा की जाती है जब इनके मूल्‍य आर्थिक स्‍तर/उत्‍पादन की लागत से कम हो जाते हैं। सरकार ग्रामीण लोगों को लाभान्‍वित करने के लिए महात्‍मा राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं अन्‍य योजनाओं को क्रियान्‍वित कर रही है जिसमें रोजगार सृजन एवं जीविका अवसरों के माध्‍यम से भूमिहीन एवं कृषि कार्मिक शामिल हैं। कृषि परिवारों को लाभान्‍वित करने के लिए इनमें संशोधन किया गया है ताकि उनकी आय की प्रतिपूर्ति की जा सके।

\*\*\*\*\*